Preamble – प्रस्तावना (उद्देशिका)

राजनीति विज्ञान के मान्य सूत्रों में एक सूत्र यह है कि समाज राज्य के बिना नहीं रह सकता एवं राज्य अपने संविधान के बिना नहीं रह सकता। ऐसे अर्थ में प्रत्येक राज्य का अपना संविधान होता है और इसीलिए शाब्दिक अर्थ में, उसे संवैधानिक राज्य कहा जा सकता है, आज यह लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था का पर्यायवाची बन गया है। यह विचार कि प्रत्येक राज्य का अपना संविधान होना चाहिए तथा यह कि शासन का गठन व संचालन संविधान के नियमों के अनुसार होना चाहिए ताकि लोगों को 'व्यक्ति का शासन' नहीं बल्कि 'कानून का शासन' प्राप्त हो, संविधानवाद के विषय की रचना करता है। पुनः राज्य के संविधान की परिभाषा लिखित तथा अलिखित नियमों एवं विनियमों के निकाय के रूप में की जा सकती है जिनके द्वारा सरकार का गठन होता है और वह कार्य करती है। अतः संविधान को उन नियमों का संग्रह कहा जा सकता है जिनके अनुसार शासन की शक्तियाँ, शासितों के अधिकार तथा दोनों के बीच सम्बन्ध समायोजित होते हैं।

पं. ठाकुरदास भार्गव के अनुसार, प्रस्तावना संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। यह विधान की आत्मा है। यह विधान की कुंजी है। डॉ. सुभाष कश्यप के अनुसार, संविधान राष्ट्र का मूलभूत अधिनियम है। यह राज्य के विभिन्न अंगों का गठन कर उन्हें शरीर देता है, शक्ति देता है। इसके शरीर गठन के पीछे, अंगों की व्यवस्था के पीछे एक प्रेरणा होती है, एक आत्मा होती है जिसको शब्द रूप मिलता है प्रस्तावना में। प्रस्तावना संविधान की कुण्डली है तथा सर्वश्रेष्ठ तत्वों का निचोड़ है। सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना पर विचार करते हुए 'बेरूबारी विवाद' में कहा है कि प्रस्तावना संविधान के निर्माताओं के आशय को स्पष्ट करने वाली कुंजी है। प्रायः अधिकांश लिखित संविधानों की प्रस्तावना होती है, जो संविधान के स्वरूप, कार्यप्रणाली तथा राजनीतिक व्यवस्था को प्रकट करती है।

Avinash

Scanned with CamScanner

42वें संवैधानिक संशोधन (1976) के बाद प्रस्तावना (उद्देशिका)

"हम भारत के लोग, भारत को एक सम्पूर्ण प्रभुत्वसंपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, तथा उसके समस्त नागरिकों को:

सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय,
विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता,
प्रतिष्ठा और अवसर की समता
प्राप्त कराने के लिए, तथा उन सब में
व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की
एकता और अखण्डता सुनिश्चित करने वाली बंधुता
बढ़ाने के लिए
दृढ़संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26/11/1949 ई. (मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी, संवत् दो हजार छह विक्रमी) को एतद्द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं।"

उद्देशिका के दो प्रयोजन सिद्ध होते हैं:
(क) उद्देशिका यह बताती है कि संविधान के प्राधिकार का स्रोत क्या है;
(ख) वह यह भी बताती है कि संविधान किन उद्देश्यों को संवर्धित या प्राप्त करना चाहता है।

उद्देशिका स्पष्ट शब्दों में यह घोषित करती है कि संविधान के अधीन सभी प्राधिकारों का स्रोत भारत के लोग हैं किसी बाहरी प्राधिकारी के प्रति कोई अधीनता नहीं है।

Avinash

Scanned with CamScanner